

प्रेसनोट दिनांक 04.05.2021

1. दिनांक 03.05.21 को वादी उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कृष्ण मुरारी पुत्र राम मोहन गोस्वामी नि0 गोसाई का पुरवा थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती अभियुक्त द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करना तथा कब्जे से 200 एम एल की 30 शीशी देशी शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 279/21 धारा 60 आबकारी अधि0 व 188 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 03.05.21 को वादी श्री राम बुझारत वर्मा पुत्र झगरू वर्मा नि0 फत्तेपुर कुशमाहा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बिजेन्द्र वर्मा पुत्र श्याम राज वर्मा आदि 04 नफर खेत में पानी लगाने की बात को लेकर अभि0गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए वादी को मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 226/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 03.05.21 को वादी उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर यादव थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम प्रधान वारिश अली पुत्र इदरीश नि0 रौनाही थाना रौनाही अयोध्या व 40-45 अज्ञात व्यक्ति अभि0गण द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन न करते हुए जुलूस निकालना जिससे महामारी फैलने की संभावना होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 195/21 धारा 188, 269 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 03.05.21 को वादी व0उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 50 व्यक्ति अज्ञात 50 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए मतगणना स्थल पर बिना मास्क लगाये एक दूसरे सटकर खड़ा होना, जिससे महामारी फैलने की संभावना होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 200/21 धारा 188, 269 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 03.05.21 को वादी व0उ0नि0 श्री लल्लन सिंह राठौर थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्ट्रांग रूम शिव शंकर सिंह स्मारक महाविद्यालय पर भीड लगाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना व मास्क धारण न करना जिससे महामारी फैलने की संभावना होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 203/21 धारा 188, 269, 270 भादवि व 3 महामारी अधि0 व 51 आपदा प्रबंधन अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।